

प्रारूप-54

परियोजना का नाम:- हंसीढुंगा गुजरकोट ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

(**वी.डी. रवि**)
अधीक्षक अभियन्ता,
Executive Engineer
(**महाराष्ट्र राज्य सिंचन निगम**)
महाराष्ट्र राज्य सिंचन निगम,
अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा

(**के.एन. सेखवाल**)
सहायक अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
भिकियासैण, अल्मोडा

(**सीमा बिष्ट**)
अपर सहायक अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
भिकियासैण, अल्मोडा

(**श्री. मुहम्मद यादव**)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोडा वन प्रभाग,
अल्मोडा

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोडा वन प्रभाग,
अल्मोडा वन प्रभाग अल्मोडा

(**हेमराज मोहन**)
वन क्षेत्राधिकारी, मोहान
अल्मोडा वन प्रभाग,
अल्मोडा
विवरण
विवरण